क्रमांक 5010-3 एस-72/265555

प्रेषक,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

हरियाणा के सभी उपायुक्त ।
दिनांक चंडीगढ़ : 7 सितम्बर, 1972

विषय :—डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ तथा असिस्टैन्ट डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय की ओर दिलाऊं और बताऊं कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ और असिस्टैन्ट डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ को राजस्व केसों के सिलसिले में सरकार की ओर से आयुक्त, अम्बाला मंडल के सम्मुख पेश होना पड़ता है और इस प्रकार उन का कार्य आयुक्त, अम्बाला मंडल को भी देखने का अवसर मिल जाता है। अतः सरकार ने यह निर्णय लिया है कि डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ तथा असिस्टैन्ट डिस्ट्रिक्ट अटारनीज़ जो, आयुक्त अम्बाला मंडल के सम्मुख सरकार की ओर से पेश होते हैं, उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त द्वारा लिखे जाने के बाद आयुक्त, अम्बाला मंडल को रिमार्कस रिकार्ड करने के लिये भेजी जाया करें और आयुक्त, अम्बाला मंडल अपने रिमार्कस रिकार्ड करने के उपरांत उन रिपोर्टों को विधि परामर्शी हरियाणा को भेजा करें ।

हस्ताक्षर/

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ: क्रमांक 5010-3 एस-72/26526, दिनांक चंडीगढ़, 7 सितम्बर, 1972

एक प्रति आयुक्त अम्बाला मंडल को उसके यादी क्रमांक 1780-पी: ए:, दिनांक 14 जुलाई, 1972 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

एक प्रति विधि परामर्शी तथा सचिव, हरियाणा सरकार, विधि विभाग को उनके अशा: क्रमांक 2591 दिनांक 16 अगस्त, 1972 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

सेवा में,

विधि परामर्शी तथा सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि विभाग, चंडीगढ़ ।

अशा: क्रमांक 5010-3 एस-72/ दिनांक चंडीगढ़, 7 सितम्बर, 1972